भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 312**

**10 अगस्त, 2021 के लिए प्रश्न**

**धान की खरीद में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार**

***312. श्री सुनील बाबूराव मेंढे :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में विशेषकर महाराष्ट्र राज्य से धान की खरीद में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के बारे में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन अनियमितताओं के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (ग):** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

**लोक सभा में दिनांक 10.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 312 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित विवरण।**

(क): वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान, 74609 खरीद केन्द्रों से 23 राज्यों के 128.72 लाख किसानों से 872.06 लाख टन धान (03.08.2021 तक) खरीद लिया गया है। खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम को केवल 8 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों का ब्यौरा और उस पर कार्रवाई **अनुबंध** में संलग्न है।

(ख): शिकायतें मुख्यतः अपात्र किसानों से जाली खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम भुगतान, भुगतान में देरी, मंडी/खरीद केन्द्रों पर गुणवत्ता संबंधी मामले और अवसंरचना की अनुपलब्धता से संबंधित है।

(ग): धान की खरीद से संबंधित शिकायतों की जांच की जाती है और इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, खरीद प्रचालनों को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहल/उपाय लिए गए हैं-

i) पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू किया गया है। इससे इस प्रणाली में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, वास्तविक समय की निगरानी की जाती है और उठाईगिरी में कमी आई है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण फर्जी किसानों से खरीद को समाप्त करता है, राज्यों में किसानों के आधार नंबर से जुड़े होने के कारण किसानों के बैंक खाते में सीधा भुगतान किए जाने से भुगतान का डुप्लीकेशन नहीं होता है।

ii) भारतीय खाद्य निगम और अधिकतर राज्य सरकारों ने स्वयं की ऑनलाइन खरीद प्रणाली विकसित की है जिसमें समुचित पंजीकरण के माध्यम से पारदर्शिता आती है तथा किसानों को आसानी होती है और वास्तविक खरीद की मानीटरिंग की जाती है। ऑनलाइन खरीद प्रणाली ने बिचौलियों से खरीद को अधिकांश रूप से समाप्त कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेहतर रूप से लक्षित किया जा सकता है।

(iii) राज्य एजेंसियों को भुगतान करते समय सार्वजनिक वित्तीय मौड्यूल प्रणाली (पीएफएमएस) के व्यय अग्रिम अंतरण मोड्यूल (ईएटी) का उपयोग भी सुनिश्चित किया जाता है जैसाकि वित्तीय एकीकरण को बनाए रखने के लिए पीएफएमएस के साथ अपनी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली एकीकृत करते हुए वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिदेशित किया गया है।

(iv) विवरण पत्रों, बैनरों, साइनबोर्डों, रेडियो, टीवी तथा प्रिंट एवं इलेट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापनों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों का व्यापक प्रचार किया जाता है।

(v) विनिर्दिष्टियों के अनुरूप अपना उत्पाद लाने के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु किसानों को गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों और खरीद प्रणाली आदि के बारे में जानकारी दी जाती है।

(vi) उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और भंडारण और परिवहन आदि जैसे अन्य संभार तंत्र/बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार एजेनसियों/भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद केंद्र खोले जाते हैं। किसानों की सुविधा के लिए प्रमुख स्थानों पर मौजूदा मंडियों और डिपुओं/गोदामों के अलावा बड़ी संख्या में अस्थाई खरीद केंद्र भी खोले जाते हैं।

*****

अनुबंध

**लोक सभा में दिनांक 10.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 312 के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**खरीफ़ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान प्राप्त हुए शिकायतों और उन पर किए गए कार्रवाई का विवरण**

| क्र.सं. | शिकायतकर्त्ता का नाम | शिकायत की तारीख | शिकायत किस के विरूद्ध की गई है | एफ़सीआई क्षेत्र का नाम | शिकायत की विषय वस्तु का संक्षेप में विवरण | की गई कार्रवाई/ अनियमितताएं, यदि कोई हों |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री सुनील बी मेंधे, माननीय एमपी (लो.स.) भंडारा-गोंदिया | 16.02.2021 और 24.03.2021 | राज्य सरकार और इसकी खरीद एजेंसियां | महाराष्ट्र | धान की खरीद में देरी, बिचौलियों और व्यापारियों से धान की खरीद तथा खरीद से संबंधित रिकॉर्ड में हेरफेर | महाराष्ट्र एक डीसीपी राज्य है, जो राज्य में खरीद, भंडारण और वितरण प्रचालनों के लिए जिम्मेदार है। एफ़सीआई क्षेत्रीय कार्यालय, महाराष्ट्र ने दिनांक 24.05.2021 के पत्र के जरिए महाराष्ट्र सरकार को उपचारात्मक कार्रवाई के लिए प्रधान सचिव (खाद्य) को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सिफारिश का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :<br>1. राज्य सरकार से खरीद की गति बढ़ाने का अनुरोध किया गया था और मिल-मालिकों द्वारा धान के शीघ्र उठाने के लिए खरीद केन्द्रों पर पर्याप्त स्थान तैयार करने का अनुरोध किया था जिससे खरीद केन्द्रों पर स्थान बनाने में सहायता मिल सके।<br>2. अन्य राज्यों से प्राप्त होने वाले धान की जाँच करने के लिए, जिला प्रशासन द्वारा जाँच और निगरानी मे तेजी लानी होगी।<br>3. ख़रीदे गए धान की गुणवत्ता सामान्य और औसत पायी गई थी। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि सभी केन्द्रों पर बनाये गए स्टॉक्स की वैज्ञानिक संरक्षण के व्यवस्था के लिए टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। |
| 2. | समाचार क्लिप | 15-10-2020 | एफ़सीआई | उत्तर प्रदेश | एफ़सीआई धान खरीद केन्द्र नागरिया, प्रयागपुर,पोवायण, शाहजहांपुर पर अनियमितताओं के बारे में शिकायत | शिकायत की जांच की गई लेकिन प्रमाणित नहीं किया जा सका। |
| 3. | माननीय श्री हरनाथ सिंह यादव, माननीय | 21-10-2020 | एफ़सीआई | उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश में एमएसपी से कम की कीमत पर खरीफ़ की फसल | चूंकि एफ़सीआई द्वारा किसानों के बैंक खाते में सीधे ही भेज दिया जाता है, शिकायत प्रमाणित नहीं हुई है। |